RNI No. 43038/1985 Postal Reg. No.: DL(C)-14/1434/2024-26, Posting Date: 28 & 29 of the Same Month

मूल्य: 10 रुपये

नेजाजी की जुबानी

पूरे जीवन मैं भारत का सेवक बना रहूंगा, अपने जीवन के अंतिम घड़ी तक मैं ऐसा ही रहूंगा। मेरी निष्ठा और वफादारी सदा के लिए मात्र भारत के लिए ही होगी।

जन गर्जन

वर्ष–41 अंक–3 हिन्दी मासिक नई दिल्ली, मार्च –2026 विक्रमी संवत्–2078 प्रधान संपादक: देवब्रत बिश्वास, वार्षिक – शुल्क: 100 रुपये

संयम और कूटनीति की अपील

युद्ध, वर्चस्व और वैश्विक शांति के लिए खतरा

जी. देवराजन
महासचिव
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए समन्वित सैन्य हमलों के बाद, पश्चिम एशिया में शत्रुता में खतरनाक बढ़ोतरी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय में व्यापक चिंता पैदा कर दी है। ये हमले क्षेत्रीय भू–राजनीति में एक गंभीर मोड़ हैं और वैश्विक शांति, अंतरराष्ट्रीय कानून और पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया पहले से ही आर्थिक अनिश्चितता, ऊर्जा संकट और मानवीय चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे गैर जिम्मेदाराना सैन्य कदम केवल अस्थिरता और पीड़ा को ही बढ़ाते हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू की गई सैन्य आक्रामकता की कई पर्यवेक्षकों ने कड़ी आलोचना की है, जो ईरानी क्षेत्र पर किए गए हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित संप्रभुता और अहस्तक्षेप के मूल सिद्धांतों का घोर उल्लंघन मानते हैं। किसी भी संप्रभु क्षेत्र पर सैन्य हमले को रणनीतिक सुरक्षा या भू–राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के किसी भी बहाने से उचित नहीं ठहराया जा सकता। इतिहास ने बार–बार यह दिखाया है कि शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा एकतरफा सैन्य हस्तक्षेप अक्सर विनाशकारी परिणाम देते हैं, जिससे स्थिरता तो प्रभावित होती ही है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष, विनाश और मानवीय त्रासदी भी देता है।

मौजूदा तनाव को और भी ज्यादा चिंताजनक बनाने वाली बात यह है कि ये हमले ऐसे समय में हुए हैं, जब कथित तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े पुराने विवादों को लेकर कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। कूटनीति, बातचीत और मोल–भाव अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के सर्वमान्य तरीके हैं। अचानक

सैन्य कार्रवाई का सहारा लेना न केवल इन कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करता है, बल्कि यह एक परेशान करने वाला संदेश भी देता है कि शांतिपूर्ण जुड़ाव के बजाय जबरदस्ती और बल प्रयोग को प्राथमिकता दी जा रही है।

इन हमलों के समय ने व्यापक भू–राजनीतिक समीकरणों के बारे में भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ये घटनाक्रम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के तुरंत बाद सामने आए, जिससे अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों के बदलते स्वरूप और क्षेत्रीय शांति पर उनके असर को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। हालाँकि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में अक्सर जटिल रणनीतिक गणनाएँ शामिल होती हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील मोड़ पर सैन्य बल का इस्तेमाल केवल अविश्वास को गहरा करता है और टकराव के दुष्चक्र को तेज करता है।

फॉरवर्ड ब्लॉक, शक्तिशाली देशों द्वारा वैश्विक सुरक्षा लागू करने की आड़ में किए जा रहे एकतरफा सैन्य हस्तक्षेपों के बढ़ते चलन को गहरी चिंता की दृष्टि से देखता है। ऐसा व्यवहार अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वर्चस्ववादी राजनीति के खतरनाक पुनरुत्थान का प्रतीक है। जब शक्तिशाली देश यह तय करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेते हैं कि कौन से देश अपने संप्रभु अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और कौन से नहीं, तो अंतरराष्ट्रीय कानून और सामूहिक सुरक्षा की नींव ही कमजोर पड़ जाती है। दुनिया ऐसे दौर में वापस जाने का जोखिम नहीं उठा सकती, जहाँ भू–राजनीतिक विवादों का निपटारा बातचीत और संवाद के बजाय बमों और मिसाइलों के जरिए किया जाता हो।

उतना ही परेशान करने वाला रवैया संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व द्वारा दिखाया जा रहा है, जो संप्रभु देशों के आर्थिक और रणनीतिक विकल्पों को निर्देशित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी खबरें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह घोषणा की है कि भारत रूस से

शेष पेज 4 पर...

गैस संकट ने देश को जकड़ लिया:

सरकारी नाकामी, युद्ध के दुष्परिणाम और काला बाजारी की लूट ने लोगों को कंगाली के कगार पर पहुँचा दिया

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय समिति, खाना पकाने वाली गैस की भारी कमी के कारण हमारी आबादी के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले रहे इस गंभीर संकट की कड़ी निंदा करती है। यह स्थिति, पर्याप्त भंडार बनाए रखने और ईरान पर चल रहे अमेरिका–इजराइल युद्ध से उत्पन्न बाहरी झटकों से देश को बचाने में सरकार की पूर्ण विफलता का सीधा परिणाम है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधा ने सरकार की तैयारियों की कमी, दूरदर्शिता के अभाव और लोगों के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की कमी को उजागर कर दिया है।

बड़े–बड़े दावों के बावजूद, जमीनी हकीकत चिंताजनक है। सरकार न केवल पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही है, बल्कि उसने घरेलू और व्यावसायिक, दोनों श्रेणियों में खाना पकाने वाले गैस सिलेंडरों की कीमतें बढ़ाकर लोगों पर और बोझ भी डाल दिया है। ऐसे समय में जब महंगाई पहले से ही घरों के बजट को निचोड़ रही है, कीमतों में वृद्धि और कमी का यह दोहरा प्रहार आम नागरिकों को कंगाली के कगार पर धकेल रहा है।

स्थिति इतनी चिंताजनक हद तक पहुँच

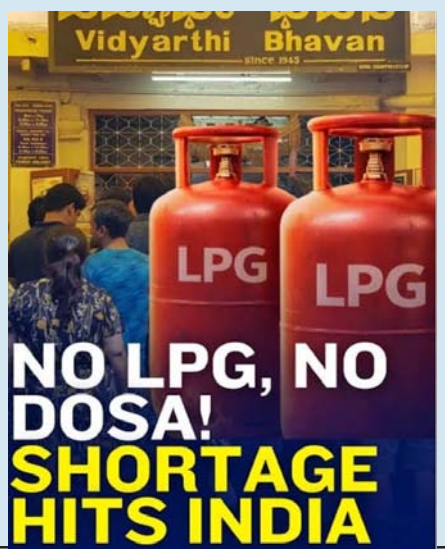

गई है कि दाह–संस्कार जैसी आवश्यक सेवाएं भी बाधित हो रही हैं, और कई जगहों पर गैस–आधारित श्मशान घाट बंद हो गए हैं। यह मौजूदा शासन के तहत बुनियादी व्यवस्थाओं के पूरी तरह से चरमरा जाने को दर्शाता है। सरकार आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जीवन व मृत्यु की गरिमा की रक्षा करने के अपने मौलिक कर्तव्य को निभाने में विफल रही है।

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक इस संकट से निपटने के लिए सरकार से तत्काल और

शेष पेज 6 पर...

संसदीय लोकतंत्र पर दबाव: भारत में सत्ता का केंद्रीकरण और सिमटता लोकतांत्रिक दायरा

संपादकीय

किसी संसदीय लोकतंत्र की सेहत का पैमाना सिर्फ चुनावों का आयोजन नहीं होता, बल्कि उसकी संस्थाओं की मजबूती, बहसों की जीवंतता और असहमति की आवाजों को मिलने वाला सम्मान होता है। हालाँकि, हाल के वर्षों में भारत में संसद के कामकाज को लेकर गंभीर चिंताएँ उभरी हैं। आलोचकों का तर्क है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी खेमे ने उन संसदीय मानदंडों और परंपराओं को लगातार कमजोर किया है, जो कभी जवाबदेही और लोकतांत्रिक संतुलन सुनिश्चित करते थे। संसद, जिसे राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार–विमर्श के लिए सर्वोच्च मंच के तौर पर काम करना चाहिए, वह धीरे–धीरे सार्थक बहस और निगरानी के मंच के रूप में अपनी भूमिका खोती नजर आ रही है।

सबसे ज्यादा चिंताजनक घटनाक्रमों में से एक, लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के कामकाज को लेकर बढ़ता विवाद है। संसदीय प्रणाली में, अध्यक्ष से एक निष्पक्ष अंपायर की तरह काम करने की उम्मीद की जाती है, जो यह सुनिश्चित करे कि सरकार और विपक्ष, दोनों को अपने विचार रखने के लिए उचित अवसर मिलें। अध्यक्ष का अधिकार ठीक इसी निष्पक्षता की उम्मीद से ही आता है। हालाँकि, विपक्षी दलों ने मौजूदा अध्यक्ष, ओम बिरला पर बार–बार पक्षपातपूर्ण तरीके से काम करने का आरोप लगाया है, जो सत्ताधारी दल के पक्ष में जाता है। ऐसे आरोपों को तब और बल मिला, जब कई मौकों पर विपक्षी नेताओं को संसद में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने से रोका गया या उनकी बात बीच में ही काट दी गई।

हालात एक ऐतिहासिक मोड़ पर तब पहुँचे, जब विपक्षी दलों ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया यह एक असाधारण कदम था, जो संसदीय विपक्ष के भीतर गहरे असंतोष को दर्शाता है। हालाँकि, सत्ताधारी दल के बहुमत के कारण यह प्रस्ताव संख्याबल के लिहाज से शायद सफल न हो, लेकिन इसका राजनीतिक महत्व निर्विवाद है। यह उस पद में विश्वास के एक अभूतपूर्व संकट का संकेत है, जिसे पारंपरिक रूप से संसदीय गरिमा और निष्पक्षता का संरक्षक माना जाता रहा है।

संसदीय कार्यवाही के जानकारों ने एक ऐसा पैटर्न देखा है, जिसमें सत्ताधारी दल के सदस्य अक्सर विपक्षी नेताओं जिनमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं के भाषणों में बाधा डालते हैं, और उन्हें 'चेयर' (अध्यक्ष) की ओर से कोई गंभीर फटकार भी नहीं मिलती। इसके विपरीत, जब विपक्षी सदस्य सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने या विवादास्पद मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, तो अध्यक्ष अक्सर तुरंत हस्तक्षेप करते हैं और उनके भाषणों को छोटा कर देते हैं। यह असंतुलन यह धारणा पैदा करता है कि संसदीय मंच अब सभी के लिए समान अवसर वाला मैदान नहीं रह गया है, बल्कि यह एक ऐसा मंच बन गया है, जिस पर सत्ताधारी खेमे का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है।

एक और महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र, जिसे नुकसान पहुँचा है, वह है संसदीय स्थायी समितियों की प्रणाली। इन समितियों को मूल रूप से इस तरह से तैयार किया गया था कि वे दलीय टकरावों की चकाचौंध से दूर रहकर, कानूनों और सरकारी नीतियों की विस्तृत जाँच–पड़ताल कर सकें। ये समितियाँ अलग–अलग पार्टियों के सांसदों को बिलों की एक–एक धारा की जाँच करने, विशेषज्ञों से सलाह लेने और कानून बनने से पहले उनमें सुधार सुझाने का मौका देती हैं। हालाँकि, हाल के सालों में, कई अहम बिल इन समितियों के पास भेजे बिना ही पास कर दिए गए हैं, आलोचकों के मुताबिक, इससे इन समितियों की हैसियत महज 'कागजी शेर' जैसी रह गई है।

समितियों द्वारा जाँच–पड़ताल में आई इस गिरावट के लोकतांत्रिक शासन पर गंभीर नतीजे हो सकते हैं। लाखों नागरिकों पर असर डालने वाले कानून अक्सर बिना किसी गहरी बहस या विशेषज्ञों की सलाह के ही संसद से जल्दबाजी में पास कर दिए जाते हैं। आर्थिक सुधारों, श्रम कानूनों और कृषि क्षेत्र के पुनर्गठन जैसी जटिल नीतियों के लिए गहन जाँच–पड़ताल की जरूरत होती है, फिर भी उन्हें तेजी से कानून बनाने वाली प्रक्रियाओं के जरिए पास किया जा रहा है। संस्थागत सुरक्षा उपायों को इस तरह नजरअंदाज करने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती है और एक विचार–विमर्श करने वाली संस्था के तौर पर संसद की भूमिका भी कमजोर पड़ती है।

इस लोकतांत्रिक कमी के नतीजे खास तौर पर मजदूरों के अधिकारों के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। पिछले एक दशक में, श्रम संहिता के जरिए बड़े बदलाव किए गए हैं, जो मौजूदा मजदूर कानूनों को एक साथ लाते हैं और उनमें संशोधन करते हैं। ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठन यह तर्क देते हैं कि इन सुधारों ने संतुलन को पूरी तरह से कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में झुका दिया है, जबकि मजदूरों के लिए सुरक्षा कमजोर हुई है। आलोचकों का कहना है कि ये कानून मालिकों के लिए मजदूरों को रखना और निकालना आसान बनाते हैं, सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को कमजोर करते हैं, और मजदूरों के संगठित होने और विरोध करने की क्षमता को सीमित करते हैं।

साथ ही, कृषि संकट ग्रामीण भारत को लगातार परेशान कर रहा है। पूरे देश में किसानों को बढ़ती लागत, फसलों की अस्थिर कीमतें, बढ़ता कर्ज, और जलवायु से जुड़ी रुकावटों के प्रति बढ़ती कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में किसानों के जो बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, वे उन नीतियों के प्रति गहरे असंतोष को दिखाते थे, जिन्हें छोटे किसानों के मुकाबले बड़े कृषि–व्यापार निगमों के पक्ष में माना जाता था। हालाँकि सरकार ने लगातार विरोध प्रदर्शनों के बाद आखिरकार विवादित कृषि कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन ग्रामीण संकट की ढांचागत समस्याएं अभी भी अनसुलझी हैं।

बेरोजगारी देश के सामने एक और गंभीर चुनौती है। भारत की युवा आबादी एक जबरदस्त जनसांख्यिकीय क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने में विफलता इस क्षमता को व्यापक निराशा के स्रोत में बदलने का खतरा पैदा करती है। आधिकारिक डेटा और स्वतंत्र अध्ययन लगातार बेरोजगारी और कम–रोजगारी के स्तर को दिखाते हैं, खासकर शिक्षित युवाओं के बीच। अनिश्चित और अनौपचारिक काम का विस्तार, कई क्षेत्रों में नौकरी की सुरक्षा में कमी के साथ मिलकर, लाखों परिवारों के लिए आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बना रहा है।

इन सामाजिक–आर्थिक चुनौतियों के समानांतर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राष्ट्रीय संपत्तियों के निजीकरण का बढ़ता चलन भी है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे, ऊर्जा संसाधन और अन्य रणनीतिक क्षेत्र तेजी से निजी कॉर्पोरेट नियंत्रण के लिए खोले जा रहे हैं। निजीकरण के समर्थक यह तर्क देते हैं कि इससे कार्यक्षमता में सुधार होता है और निवेश आकर्षित होता है, लेकिन आलोचक इसे सार्वजनिक धन का एक छोटे से कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग के हाथों में हस्तांतरण मानते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि बिना रोक–टोक निजीकरण से प्रमुख आर्थिक संसाधनों पर राष्ट्रीय संप्रभुता कमजोर होने का खतरा है, जबकि समान विकास सुनिश्चित करने में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका भी कमजोर होती है।

प्राकृतिक संसाधन जो ऐतिहासिक रूप से देश के लोगों के थे खनिज, जंगल, जल संसाधन और ऊर्जा संपत्तियाँ उन्हें आर्थिक विकास के नाम पर सही ठहराई गई नीतियों के तहत बड़े निगमों को पट्टे पर दिया जा रहा है या बेचा जा रहा है। इस प्रक्रिया में अक्सर स्थानीय समुदायों के अधिकारों की अनदेखी की जाती है, खासकर आदिवासी आबादी और छोटे किसानों की, जो अपनी आजीविका के लिए इन संसाधनों पर निर्भर हैं। तेजी से औद्योगिक विस्तार की चाह में पर्यावरणीय चिंताओं को भी अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

इस व्यापक संदर्भ में, कई विद्वानों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने समकालीन भारत को एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ते हुए बताना शुरू कर दिया है, जिसे कुछ लोग 'चुना हुआ तानाशाही' कहते हैं। यह अवधारणा एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं, लेकिन एक शक्तिशाली सत्ताधारी व्यवस्था के वर्चस्व के तहत लोकतांत्रिक संस्थाएं, नियंत्रण और संतुलन और नागरिक स्वतंत्रताएं धीरे–धीरे कमजोर होती जाती हैं। कार्यपालिका शाखा में राजनीतिक सत्ता का केंद्रीकरण, संस्थागत निगरानी तंत्रों के कमजोर होने के साथ मिलकर, ऐसी स्थितियां पैदा करता है जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं तो जीवित रहती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तत्व कम हो जाता है।

इस तरह के बदलाव के निहितार्थ संसदीय प्रक्रियाओं से कहीं आगे तक जाते हैं। लोकतंत्र केवल सरकारें चुनने का एक तंत्र नहीं है, यह एक ऐसा ढांचा है जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है, बहस को प्रोत्साहित करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। जब संसदीय संस्थाएं कमजोर होती हैं, जब विपक्षी आवाजों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है, और जब महत्वपूर्ण नीतियां बिना किसी सार्थक चर्चा के ही पारित कर दी जाती हैं, तो लोकतांत्रिक शासन की नींव ही कमजोर होने लगती है।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने एक ऐसा संवैधानिक ढांचा तैयार किया था, जिसमें एक बहुलवादी, सहभागी और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण लोकतंत्र की परिकल्पना की गई थी। उस विरासत को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक मानदंडों, संस्थागत अखंडता और असहमति के प्रति सम्मान के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। संसद को कार्यपालिका के निर्णयों का केवल समर्थन करने वाले मंच के बजाय, बहस के एक वास्तविक अखाड़े के रूप में कार्य करना चाहिए। अध्यक्ष को दलीय विचारों से ऊपर रहना चाहिए, समितियों को विधायी जांच–पड़ताल में अपनी भूमिका पुनः प्राप्त करनी चाहिए, और राष्ट्रीय नीति–निर्माण में श्रमिकों, किसानों और हाशिए पर पड़े समुदायों की आवाजों को सुना जाना चाहिए।

अंततः, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य उसकी संस्थाओं और नागरिकों की उस इच्छाशक्ति पर निर्भर करेगा, जिसके द्वारा वे जवाबदेही, समानता और सामाजिक न्याय के उन सिद्धांतों की रक्षा कर सकें, जो संविधान के मूल में निहित हैं। ऐसी सतर्कता के अभाव में, केंद्रीकृत सत्ता और कमजोर लोकतांत्रिक नियंत्रणों की ओर बढ़ता झुकाव जारी रह सकता है, जिससे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उन आदर्शों को बनाए रखने के लिए संघर्ष करता रह जाएगा, जिन पर उसकी नींव रखी गई थी।

फॉरवर्ड ब्लॉक ने ईरान पर यूएस–इजराइल के हमलों की निंदा की

तत्काल युद्धविराम और कूटनीतिक समाधान की मांग की

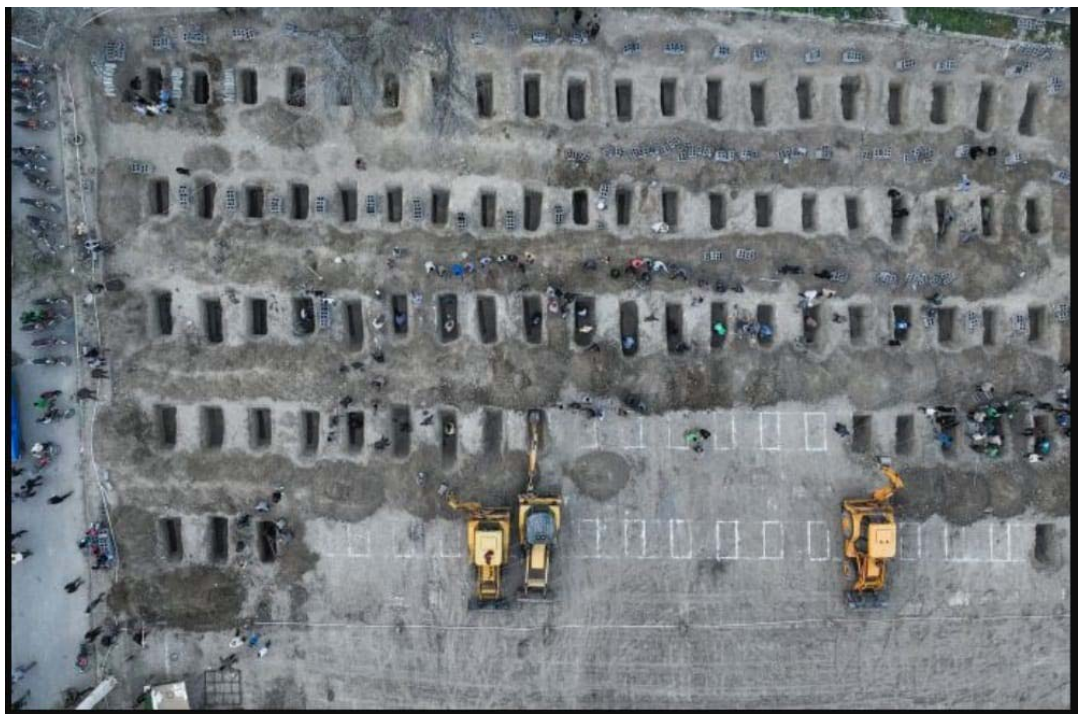

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय कमेटी, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल राज्य द्वारा इस्लामिक गणराज्य ईरान के खिलाफ शुरू किए गए समन्वित सैन्य हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। शत्रुता में अचानक हुई यह वृद्धि, जिसमें ईरानी क्षेत्र और प्रमुख शहरी इलाकों पर संयुक्त हमले शामिल हैं, स्थापित अंतरराष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है और ईरानी राष्ट्र के संप्रभु अधिकारों का हनन करती है। इन कार्रवाइयों ने सैन्य जवाबी कार्रवाई को जन्म दिया है और इनमें पूरे पश्चिम एशियाई क्षेत्र को एक विनाशकारी संघर्ष में धकेलने की क्षमता है।

यह हमला अमरीका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत के बीच हुआ है, जिसका उद्देश्य परमाणु कार्यक्रमों और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाना है। इसके अलावा, यह अकारण हुई वृद्धि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के तुरंत बाद हुई है, जिससे व्यापक भू–राजनीतिक गतिशीलता के बारे में गंभीर सवाल उठते हैं। इसलिए, हमलों का समय ऐसी सभी कूटनीतिक कोशिशों को बुरी तरह से कमजोर करता है और शांतिपूर्ण बातचीत के बजाय सैन्य कार्रवाई को प्राथमिकता देने का संकेत देता है। हम इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं, जो पहले से ही अस्थिर क्षेत्र में अविश्वास और अस्थिरता को और बढ़ाता है।

फॉरवर्ड ब्लॉक, वैश्विक सुरक्षा लागू करने की आड़ में शक्तिशाली देशों द्वारा एकतरफा सैन्य हस्तक्षेप के उभरते पैटर्न को गहरी चिंता के साथ देखता है। ऐसी कार्रवाइयां न केवल संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित राज्य की संप्रभुता और अहस्तक्षेप के सिद्धांतों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि वैश्विक भू–राजनीति के लिए एक खतरनाक मिसाल भी कायम करती हैं। रचनात्मक कूटनीति को कभी भी सैन्य श्रेष्ठता वाले कुछ शक्तिशाली देशों की रणनीतिक योजनाओं के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

हम विशेष रूप से लाखों आम नागरिकों के लिए संभावित परिणामों को लेकर चिंतित हैं, जिनमें पश्चिम एशिया में रहने वाला बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय भी शामिल है, जिन्हें अब सैन्य गतिविधियों में वृद्धि और हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण बढ़े हुए जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। संकट के समय विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना भारत सरकार सहित हर सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

इस संदर्भ में, हम भारत सरकार से एक स्पष्ट और स्पष्ट बयान जारी करने का आह्वान करते हैं, जिसमें ईरान पर हुए हमलों की निंदा की जाए और तत्काल युद्धविराम का आग्रह किया जाए। हम भारत से आग्रह करते हैं कि वह तनाव कम करने, बातचीत को बढ़ावा देने और आगे के रक्तपात को रोकने के लिए सभी कूटनीतिक माध्यमों द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों का उपयोग करे। विश्व शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का स्थायित्व, सैद्धांतिक कार्रवाई और बातचीत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता पर निर्भर फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय कमेटी गुटनिरपेक्षता, राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान, संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और वैश्विक एकजुटता पर आधारित विदेश नीति में अपने अडिग विश्वास को दोहराती है। दुनिया अब एकतरफा हस्तक्षेपों और वर्चस्ववादी प्रभुत्व के दौर में वापसी का जोखिम नहीं उठा सकती।

फॉरवर्ड ब्लॉक तमिलनाडु में भाजपा या भाजपा वाले किसी भी गठबंधन के साथ कोई चुनावी समझौता नहीं करेगा

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय कमेटी ने यह संकल्प लिया है कि पार्टी आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी या भाजपा वाले किसी भी गठबंधन या मोर्चे के साथ कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी।

यह फैसला तमिलनाडु और राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा करने के बाद लिया गया। केंद्रीय कमेटी ने जोर देकर कहा कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की वैचारिक नींव जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पसुमपोन मुथुरामलिंग थेवर द्वारा अपनाए गए धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और अडिग राष्ट्रवाद के सिद्धांतों पर आधारित है भाजपा की नीतियों और राजनीतिक दिशा के साथ बुनियादी तौर पर मेल नहीं खाती।

केंद्रीय कमेटी का यह सुविचारित मत है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बाहरी दबावों के आगे लगातार झुकती जा रही है, जिससे देश की संप्रभुता और आर्थिक आत्मनिर्भरता से समझौता हो रहा है। ऐसी नीतियां जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विदेशी वर्चस्व के लिए खोल देती हैं और राष्ट्रीय हितों को कमजोर करती हैं, हमारे देश की दीर्घकालिक स्वतंत्रता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं।

इसके अलावा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने किसानों, मजदूरों और विशाल मेहनतकश जनता की वास्तविक शिकायतों को लगातार नजरअंदाज किया है, जो देश की संपत्ति के असली निर्माता हैं। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, मजदूरों के अधिकारों में कटौती और अल्पसंख्यकों, ओबीसी, दलितों तथा महिलाओं पर हमलों जैसे जरूरी मुद्दों को सुलझाने के बजाय, सत्ताधारी पार्टी ने सांप्रदायिक और विभाजनकारी मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान भटकाने की बार–बार कोशिश की है। ऐसी चालें देश के धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने को कमजोर करती हैं और सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा पैदा करती हैं।

केंद्रीय कमेटी चिंता के साथ यह भी नोट करती है कि भाजपा के सहयोगी दल भी इन जन–विरोधी और विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करने में समान रूप से शामिल हैं।

इस संदर्भ में, केंद्रीय कमेटी ने पार्टी की तमिलनाडु राज्य कमेटी को निर्देश दिया है कि वह समान विचारधारा वाले धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों के साथ मिलकर एक वैकल्पिक चुनावी गठबंधन बनाने की संभावनाओं को तलाशे और उनसे जुड़े, ऐसा गठबंधन जो नेताजी और पसुमपोन थेवर की विरासत को कायम रखे, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करे और समाज के सभी वर्गों के अधिकारों तथा गरिमा की सुरक्षा करे।

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों के साथ मजबूती से खड़े रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। पार्टी तमिलनाडु में एक व्यापक लोकतांत्रिक मोर्चा बनाने का प्रयास करेगी, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का विरोध करेगा, राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करेगा और जन–उन्मुख शासन की दिशा में कार्य करेगा।

युद्ध, वर्चस्व और वैश्विक शांति के लिए खतरा

पेज 1 से जारी...

कच्चा तेल केवल सीमित अवधि के लिए ही खरीद सकता है, भारत की संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति का सीधा अपमान है। किसी भी विदेशी शक्ति को किसी स्वतंत्र राष्ट्र के आर्थिक निर्णयों को निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे बयान वैश्विक राजनीति में विकासशील देशों को अधीनस्थ भूमिका निभाने वाले देशों के रूप में देखने की बड़ी शक्तियों की लगातार बनी हुई प्रवृत्ति को उजागर करते हैं।

भारत ने ऐतिहासिक रूप से एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है, जिसकी जड़ें गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व और राष्ट्रीय संप्रभुता के सम्मान के सिद्धांतों में निहित हैं। इन सिद्धांतों के प्रबल समर्थक वे नेता थे, जिनका मानना था कि नए–नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों को वैश्विक शक्ति गुटों के दबाव का विरोध करना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय निर्णय–निर्माण में अपनी स्वायत्तता की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए, बाहरी शक्तियों द्वारा भारत पर आर्थिक या कूटनीतिक प्रतिबंध लगाने के किसी भी प्रयास को दृढ़ता और स्पष्टता के साथ अस्वीकार किया जाना चाहिए। भारत सरकार को ऐसे बयानों का जवाब स्पष्टता और गरिमा के साथ देते हुए, राष्ट्र के संप्रभु अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

इसके साथ ही, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ईरान द्वारा की गई जवाबी सैन्य कार्रवाइयों पर भी गहरी चिंता व्यक्त करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद ईरान के भीतर पनपा गुस्सा और रोष स्वाभाविक और समझने योग्य है। किसी भी राष्ट्र पर जब सैन्य आक्रमण होता है, तो वह स्वाभाविक रूप से अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में जवाबी कार्रवाई करता है। हालाँकि, जवाबी कार्रवाइयाँ जिम्मेदारी और संयम से निर्देशित होनी चाहिए, विशेष रूप से तब, जब पड़ोसी देशों की नागरिक आबादी जोखिम में पड़ जाए।

ईरानी हमलों की खबरें, जो इजराइल से आगे बढ़कर कई खाड़ी देशों तक फैल गई हैं, अत्यंत चिंताजनक हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, बहरीन और ओमान जैसे देश दुनिया भर से आए लाखों प्रवासी श्रमिकों का घर हैं, जिनमें भारत से आए श्रमिकों की संख्या भी बहुत बड़ी है। इन क्षेत्रों को निशाना बनाने वाले या इन्हें प्रभावित करने वाले सैन्य हमलों से भारी संख्या में नागरिकों के हताहत होने का जोखिम है, और इससे संघर्ष के मूल क्षेत्र से कहीं अधिक दूर तक अस्थिरता फैलने की आशंका है। ऐसे कार्यों को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये निर्दोष लोगों की जान को खतरे में डालते हैं और युद्ध के मानवीय परिणामों को और अधिक गंभीर बनाते हैं।

आधुनिक युद्ध के शिकार शायद ही कभी राजनीतिक नेता या सैन्य रणनीतिकार होते हैं। असली शिकार तो आम लोग होते हैं बच्चे, औरतें, मजदूर और बुजुर्ग जिन्हें हिंसा और विस्थापन के विनाशकारी नतीजे भुगतने पड़ते हैं। इस इलाके से सामने आ रही तस्वीरों से बढ़ते संघर्ष की दुखद मानवीय कीमत का पता चलता है। परिवारों को अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जरूरी बुनियादी ढांचा तबाह हो रहा है, और अनगिनत आम नागरिक और हमलों के लगातार डर में जी रहे हैं।

ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या ने ईरान के अंदर तनाव और गुस्सा और बढ़ा दिया है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले और अप्रत्याशित जवाबी हमलों का खतरा काफी बढ़ गया है। इस तरह के घटनाक्रमों ने दुश्मनी के चक्र को और गहरा कर दिया है और इस इलाके को एक बड़े युद्ध के और करीब ला दिया है, जिसमें कई देश शामिल हो सकते हैं। एक बार जब संघर्ष इस हद तक बढ़ जाते हैं, तो उन्हें काबू करना बेहद मुश्किल हो जाता है, और अक्सर पड़ोसी देश भी हिंसा के इस भंवर में खिंचे चले आते हैं।

एक और चिंताजनक बात है ईरान का रणनीतिक रूप से बेहद अहम 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को बंद करने का फैसला, यह तेल और प्राकृतिक गैस के वैश्विक परिवहन के लिए सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है, जो फारस की खाड़ी को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र से जोड़ता है। इस रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट का असर दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों पर जरूर पड़ता है, जिससे विकसित और विकासशील, दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं।

भारत के लिए इसके नतीजे खास तौर पर गंभीर हैं। देश पश्चिम एशिया से ऊर्जा आयात पर बहुत ज्यादा निर्भर है और आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई रुकावटों की वजह से जरूरी ईंधनों की कमी पहले ही महसूस होने लगी है। रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत 'लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस' (एलपीजी) की गंभीर कमी का सामना कर रहा है, यह एक ऐसा ईंधन है जिसका इस्तेमाल घरों और व्यापारिक, दोनों ही कामों के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस कमी का असर देश के कई हिस्सों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगा है।

छोटे कारोबार, खासकर वे रेस्तरां और होटल जो व्यापारिक एलपीजी सिलेंडरों पर निर्भर हैं, उन्हें कथित तौर पर ईंधन न मिल पाने की वजह से अपना काम जारी रखने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में, लोग घबराकर एलपीजी सिलेंडर बुक कराने के लिए दौड़–भाग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर युद्ध जारी रहा तो यह कमी बनी रह सकती है। इस तरह के हालात लोगों में बड़े पैमाने पर चिंता पैदा करते हैं और सामान्य आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालते हैं।

हालात की गंभीरता के बावजूद, यह चिंता बढ़ती जा रही है कि भारत सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए जरूरी तेजी से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। जरूरी ऊर्जा सप्लाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना और नागरिकों की भलाई की रक्षा करना, इसे तुरंत राष्ट्रीय प्राथमिकता माना जाना चाहिए। सरकारों को वैश्विक संघर्षों के दूरगामी प्रभावों का पहले से अंदाजा लगाना चाहिए और देश की स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए आपातकालीन उपाय तैयार रखने चाहिए।

पश्चिम एशिया में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता का विषय है। लाखों भारतीय प्रवासी मजदूर खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अहम योगदान देते हैं और अपने घर वालों को कीमती पैसा भेजते हैं। बढ़ते सैन्य तनाव के मौजूदा माहौल में, ये मजदूर मिसाइल हमलों, हवाई क्षेत्र बंद होने और अचानक हिंसा भड़कने के लगातार डर में जी रहे हैं। भारत सरकार को उनकी सुरक्षा पर नजर रखने, जरूरत पड़ने पर आपातकालीन निकासी के इंतजाम करने और उस क्षेत्र की सरकारों के साथ लगातार कूटनीतिक बातचीत बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

मौजूदा संकट एक बार फिर यह दिखाता है कि जटिल भू–राजनीतिक विवादों का हल युद्ध कभी नहीं हो सकता। सैन्य आक्रामकता से कुछ पक्षों को भले ही कुछ समय के लिए रणनीतिक फायदे मिल जाएं, लेकिन इसका नतीजा हमेशा लंबे समय तक चलने वाली अस्थिरता और मानवीय पीड़ा ही होता है। दुनिया ने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं इराक से लेकर अफगानिस्तान तक जहाँ सुरक्षा के नाम पर शुरू हुए युद्धों ने पूरे–पूरे क्षेत्रों को दशकों तक अस्थिर कर दिया।

इसलिए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। कूटनीतिक बातचीत तुरंत फिर से शुरू होनी चाहिए, और इसमें शामिल सभी पक्षों को युद्धविराम के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना चाहिए। ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। शांति बहाल करने के प्रयासों का मार्गदर्शन, एकतरफा सैन्य कार्रवाई के बजाय, बहुपक्षीय कूटनीति द्वारा किया जाना चाहिए।

भारत, गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व के प्रति अपनी पुरानी प्रतिबद्धता के साथ, बातचीत को बढ़ावा देने में एक रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए एक अनोखी स्थिति में है। देश के उस क्षेत्र के सभी प्रमुख पक्षों के साथ कूटनीतिक संबंध हैं, और वह संयम और बातचीत की वकालत करने वाली एक विश्वसनीय आवाज के तौर पर काम कर सकता है। भारत की ओर से एक स्पष्ट और सैद्धांतिक बयान, जिसमें आक्रामकता की निंदा की गई हो और तुरंत युद्धविराम का आह्वान किया गया हो, तनाव कम करने के वैश्विक प्रयासों को मजबूती देगा।

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक अपने इस पक्के विश्वास को दोहराता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध संप्रभुता के सम्मान, राष्ट्रों के बीच समानता और शांतिपूर्ण ढंग से विवादों को सुलझाने के सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। राजनीतिक विवादों को सुलझाने के लिए सैन्य बल का इस्तेमाल केवल हिंसा और अस्थिरता के चक्र को ही बढ़ावा देता है। दुनिया के लोग ऐसे भविष्य के हकदार हैं जो युद्ध और विनाश के लगातार मंडराते खतरे से मुक्त हो।

इस नाजुक मोड़ पर, इसमें शामिल सभी पक्षों को टकराव की स्थिति से पीछे हट जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य आक्रामकता रोकनी चाहिए, और ईरान को भी संयम बरतना चाहिए तथा ऐसे जवाबी कदमों से बचना चाहिए जिनसे पड़ोसी देशों और आम नागरिकों की जान खतरे में पड़ जाए। केवल बातचीत, कूटनीति और आपसी सम्मान के जरिए ही स्थायी शांति हासिल की जा सकती है।

दुनिया आज एक खतरनाक दोराहे पर खड़ी है। आज लिए गए फैसले ही यह तय करेंगे कि मानवता सहयोग और शांति की ओर आगे बढ़ेगी या फिर विनाशकारी संघर्षों के एक और दौर में धकेल दी जाएगी। दुनिया भर के राजनीतिक नेताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आक्रामकता और वर्चस्व पर समझदारी और संयम की ही जीत हो।

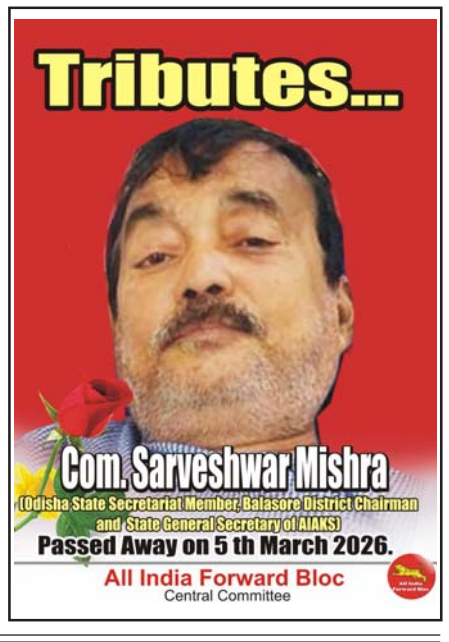

मजदूर–किसान संसद द्वारा श्रम संहिताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान

1 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी 'काला दिवस'

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों /स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों / संघों के संयुक्त मंच, साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) द्वारा 9 मार्च 2026 को नई दिल्ली के जंतर–मंतर पर आयोजित 'मजदूर–किसान संसद' भारत के मजदूरों, किसानों, खेतिहर मजदूरों और मेहनतकश लोगों के विभिन्न अन्य वर्गों को 12 फरवरी 2026 को हुई शानदार अखिल भारतीय आम हड़ताल के लिए बधाई देती है। इस हड़ताल के माध्यम से, कॉर्पोरेट–सांप्रदायिक केंद्र सरकार की मजदूर–विरोधी और किसान–विरोधी नीतियों के खिलाफ एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया गया था।

यह 'मजदूर–किसान संसद' जो मजदूर–हितैषी, किसान–हितैषी और जन–हितैषी नीतियों के लिए हमारे संयुक्त और समन्वित संघर्षों की निरंतरता में, राष्ट्रीय राजधानी में संसद सत्र के समानांतर आयोजित की जा रही है केंद्र सरकार के उस शर्मनाक समर्पण की कड़ी निंदा करती है, जिसके तहत उसने अमेरिकी दबावों के आगे झुकते हुए असमान और शोषणकारी 'भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचा' स्वीकार कर लिया, साथ ही, कॉर्पोरेट हितों के साथ मिलकर मजदूर–विरोधी और किसान–विरोधी उपायों की एक श्रृंखला लागू करने के उसके प्रयासों की भी निंदा करती है।

हम इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं कि अमेरिका अपने भारी कर्ज को चुकाने, अपने व्यापार घाटे को कम करने और पेट्रोडॉलर–आधारित वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए विकासशील देशों पर एकतरफा व्यापार शुल्क और शोषणकारी व्यापार शर्तें थोप रहा है। साम्राज्यवादी ताकतें अपने व्यवस्थागत संकट से निपटने के लिए 'युद्ध अर्थव्यवस्था' का इस्तेमाल करते हुए युद्ध और संघर्षों को बढ़ावा दे रही हैं, संप्रभु देशों के नेतृत्व को अपने अधीन कर रही हैं और वहाँ सत्ता परिवर्तन थोप रही हैं। ईरान इसका सबसे ताजा उदाहरण है।

यह संसद अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए युद्ध की कड़ी निंदा करती है जिसमें संप्रभु ईरान के प्रमुख अयातुल्ला खोमैनी और 183 बच्चों सहित हजारों निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, जिसका उद्देश्य पूरे मध्य–पूर्व को सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में और पूरी दुनिया को आर्थिक उथल–पुथल की स्थिति में धकेलना था। खाड़ी देशों में 90 लाख से अधिक भारतीय नागरिक काम करते हैं। ये देश हमारी कच्चे तेल की जरूरतों का 55: हिस्सा हमें निर्यात करते हैं, और प्रतिवर्ष भारत से 60 लाख टन बासमती चावल, भैंस का मांस, समुद्री उत्पाद, चीनी, ताजी सब्जियाँ और फल आयात करते हैं।

अमेरिकी सरकार दुनिया के मेहनतकश लोगों की सबसे बड़ी दुश्मन और विश्व शांति के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत तंत्रों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी है। हम भारत सरकार की कड़ी निंदा करते हैं कि उसने अपनी ऐतिहासिक रूप से विकसित साम्राज्यवाद–विरोधी विदेश नीति को बदल दिया है, अपनी संप्रभुता (आजादी) को दांव पर लगा दिया है, और अमेरिका व इजराइल के साथ गठबंधन कर लिया है, साथ ही, 75,000 बेकसूर फिलिस्तीनियों के नरसंहार के प्रति उसने पूरी तरह से असंवेदनशीलता दिखाई है।

संसद भारत सरकार से आह्वान करती है कि वह युद्ध को तत्काल रोकने की मांग करे और विश्व शांति सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार को खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उनके वेतन और मुआवजे की गारंटी देने, और सभी कृषि निर्यातों के लिए विशेष मुआवजा प्रदान करने हेतु तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य मिल सकें।

संसद मांग करती है कि भारत सरकार को 'भारत–अमेरिका व्यापार समझौते के अंतरिम ढांचे' को अस्वीकार कर देना चाहिए। यह ढांचा अमेरिका के भारी सब्सिडी वाले षि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आयात की अनुमति देता है, भारत को 9 लाख करोड़ रुपये का सामान खरीदने के लिए बाध्य करता है, जिससे भारत का व्यापार अधिशेष समाप्त हो जाएगाय रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने से रोकता है, और अर्थव्यवस्था के बड़े–बड़े क्षेत्रों को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल देता है। ये कदम हमारे किसानों, एमएसएमई (लघु एवं मध्यम उद्यमों), उद्योग के कई क्षेत्रों, खाद्य

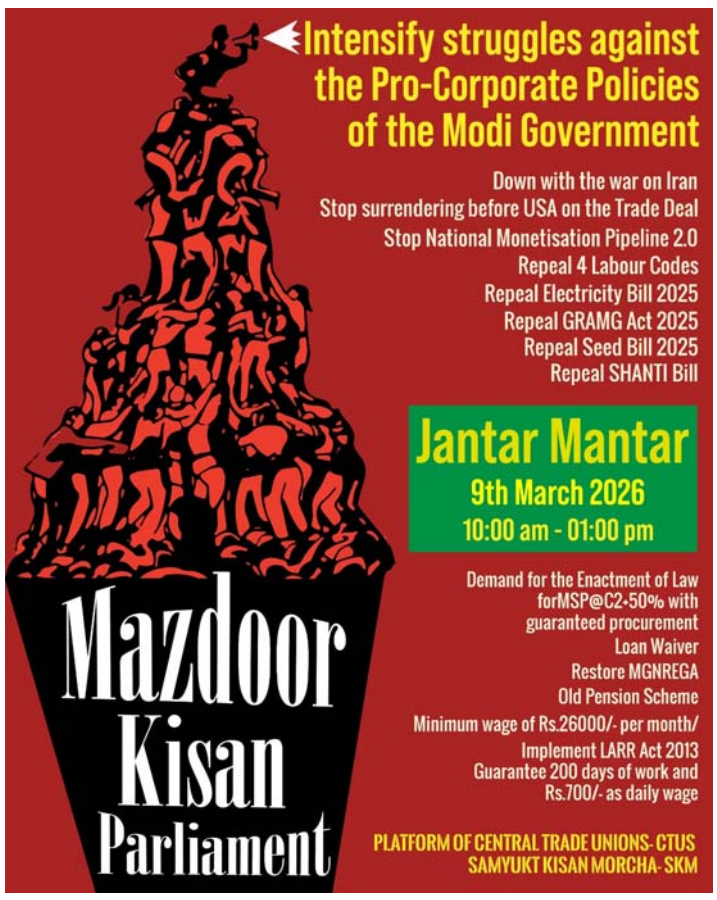

सुरक्षा और हमारी संप्रभुता के अधिकारों को कमजोर कर देंगे।

संसद भारत सरकार की इस बात के लिए भी कड़ी निंदा करती है कि उसने 9 दिसंबर, 2021 को एसकेएम (संयुक्त किसान मोर्चा) को दिए गए लिखित आश्वासनों को लागू नहीं किया। ये आश्वासन उस ऐतिहासिक किसान आंदोलन के संदर्भ में दिए गए थे, जिसमें 736 शहीदों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। संसद मांग करती है कि संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं में ऐसे कानून बनाए जाएं जो सभी फसलों की खरीद की गारंटी दें वह भी एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर, जो सी2+50% के आधार पर तय हो। साथ ही, उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए, औरकृषि–आधारित उद्योगों को सार्वजनिक व सहकारी, दोनों क्षेत्रों के तहत विकसित किया जाए। इसका उद्देश्य कृषि पर कॉरपोरेट के कब्जे को समाप्त करना और मूल्य–संवर्धन से होने वाले अतिरिक्त लाभ को प्राथमिक उत्पादकों के साथ साझा करना है। हम एक व्यापक ऋण माफी की मांग करते हैं, ताकि ग्रामीण परिवारों को कर्ज के बोझ से मुक्ति मिल सके और किसानों की आत्महत्याओं को रोका जा सके। इसके अलावा, किसानों और वनवासियों की जमीन का अधिग्रहण करते समय 'एलएआरआर अधिनियम 2013' (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम) को सख्ती से लागू करने की भी हम मांग करते हैं।

24 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित 'मजदूरों और किसानों के अखिल भारतीय संयुक्त सम्मेलन' में अपनाई गई मांगों को दोहराते हुए, हम सार्वजनिक क्षेत्र और सेवाओं – जैसे रेलवे, बंदरगाह और गोदी, कोयला और गैर–कोयला खदानें, तेल, इस्पात, रक्षा, सड़क परिवहन, हवाई अड्डे, बैंक, बीमा, दूरसंचार, डाक, परमाणु ऊर्जा, बिजली उत्पादन और आपूर्ति – के निजीकरण की अंधाधुंध मुहिम को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम एनएमपी 2.0 सहित इन सभी कदमों की कड़ी निंदा करते हैं, और मांग करते हैं कि ऐसे सभी अधिनियमों, विधेयकों और नीतियों को वापस लिया जाए।

संसद 'विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025' को वापस लेने की मांग करती है, जिसका हमारे देश के कृषि, घरेलू और MSME बिजली उपभोक्ताओं, तथा सार्वजनिक बिजली क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। हम मांग करते हैं कि प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को वापस लिया जाए और सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाए।

संसद 'नया बीज विधेयक, 2025' को वापस लेने की मांग करती है, जो विशाल निगमों के पक्ष में है। हम ग्रामीण रोजगार विरोधी 'वीबी ग्राम जी अधिनियम' को वापस लेने और मनरेगा को बहाल करने की मांग करते हैं, जिसमें 200 दिनों का काम और 700 रुपये की दैनिक मजदूरी सुनिश्चित हो। साथ ही, हम 'पुरानी पेंशन योजना' (ओपीएस) को बहाल करने और एनपीएस/यूपीएस को समाप्त करने की मांग करते हैं।

संसद उन सभी हालिया नीतिगत निर्णयों और अधिनियमों को रद्द करने की मांग करती है जो लोगों के जीवन और आजीविका के लिए हानिकारक हैं तथा हमारे देश की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता को खतरे में डालते हैं। इनमें शामिल हैं: 'शांति अधिनियम', जो निजी विदेशी निगमों को अत्यधिक जोखिम भरे और खतरनाक परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, दुर्घटना की स्थिति में किसी भी दायित्व के बिना बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफडीआई, मनुस्मृति पर आधारित 'श्रम शक्ति नीति 2025' और 'पेंशन सत्यापन अधिनियम 2025' आदि की अनुमति देता है।

'मजदूर किसान संसद' समस्त मेहनतकश जनता से आह्वान करती है कि यदि सरकार चार अत्यंत प्रतिगामी 'श्रम संहिताओं' को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ती है, तो वे निरंतर और एकजुट संघर्ष छेड़ देंगे। ये श्रम संहिताएं हमारे देश के मजदूरों के सभी अधिकारों को छीन लेती हैं, जिनमें संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, हड़ताल का अधिकार और 8 घंटे के कार्यदिवस का अधिकार शामिल है। ये श्रम संहिताएं देश के 93 प्रतिशत से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के अधिकारों से उन्हें वंचित कर रही हैं, और औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच की खाई को और गहरा कर रही हैं।

हम सरकार से मांग करते हैं कि वह 4 श्रम संहिताओं को तत्काल वापस ले, पुराने श्रम कानूनों और श्रम कानूनों को लागू करने वाली मशीनरी को बहाल करे, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे, मौलिक अधिकारों पर आईएलओ के नियमों का समर्थन करे – सी–87 (संगठन की स्वतंत्रता), सी–98 (सामूहिक सौदेबाजी),

शेष पेज 6 पर...

फॉरवर्ड ब्लॉक ने वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता आर. नल्लाकन्नू को श्रद्धांजलि देने के लिए अपना झंडा झुकाया

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय कमेटी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वयोवृद्ध नेता और क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी आर. नल्लाकन्नू के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है। उनके निधन के साथ ही, भारत के वामपंथी और प्रगतिशील आंदोलन का एक युग समाप्त हो गया है।

आर. नल्लाकन्नू केवल एक राजनीतिक नेता ही नहीं थे, वे अपने आप में एक संस्था थे। श्रमिकों, किसानों और समाज के वंचित वर्गों के हितों के प्रति उनका आजीवन समर्पण, सैद्धांतिक राजनीति और निस्वार्थ जनसेवा का एक ज्वलंत उदाहरण है। उनकी सादगीपूर्ण जीवनशैली, अटूट ईमानदारी और सामाजिक न्याय के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में याद किया जाएगा और दर्ज किया जाएगा।

तमिलनाडु के एक दूरदराज के गाँव में एक साधारण शुरुआत से लेकर राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक बनने तक, उनकी यात्रा वास्तव में प्रेरणादायक थी। उनकी जीवनगाथा युवा पीढ़ी के लिए आशा और मार्गदर्शन का एक प्रकाशस्तंभ है, जो यह दर्शाती है कि कैसे प्रतिबद्धता, अनुशासन और वैचारिक स्पष्टता सार्वजनिक जीवन को गरिमा और उद्देश्य के साथ आकार दे सकती है।

अपने मृदुभाषी स्वभाव और सबको साथ

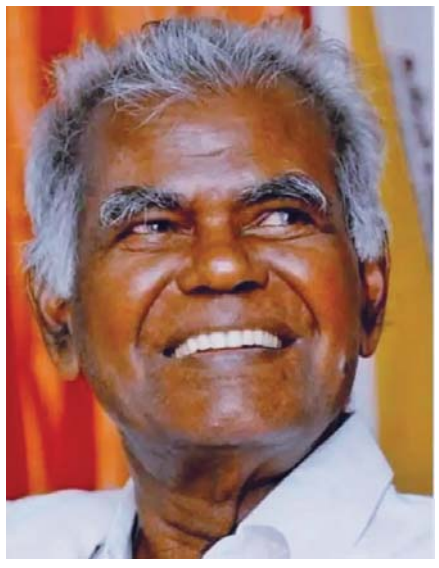

लेकर चलने वाले दृष्टिकोण के लिए जाने जाने वाले आर. नल्लाकन्नू ने मित्रों और राजनीतिक विरोधियों, दोनों का सम्मान अर्जित किया। उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेतृत्व के साथ सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे, जो उनकी समावेशी भावना और प्रगतिशील ताकतों के बीच एकता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।

उनकी महान स्मृति के सम्मान में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की केंद्रीय कमेटी अपना बैनर और झंडा झुकाती है। पार्टी उनके शोकाकुल परिवार के सदस्यों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों, और देश भर में फैले उनके असंख्य प्रशंसकों और मित्रों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती है।

उनकी विरासत समानता, न्याय और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए होने वाले संघर्षों को प्रेरित करती रहेगी।

1 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी 'काला दिवस'

पेज 5 से जारी...

सी–190, सी–189, सी–155 और 187 (ओएसएच), भारतीय श्रम सम्मेलन (आईएलसी) को बुलाए, जो 2015 में आयोजित पिछले आईएलसी के बाद से नहीं बुलाया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और सेवाओं के निजीकरण को रोके, नौकरियों की आउटसोर्सिंग और संविदाकरण को रोके, 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' (निश्चित अवधि रोजगार) कानून को वापस ले, योजना कर्मियों सहित सभी श्रमिकों के लिए 26,000 रुपये का न्यूनतम वेतन लागू करे और सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र में खाली पड़े 65 लाख पदों को भरे, तथा नए पदों पर लगी रोक को हटाए।

संसद यह नोट करती है कि भारत सरकार हमारे राष्ट्र के संघीय चरित्र को कमजोर कर रही है और राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, उन्हें वित्तीय संसाधनों से वंचित कर रही है और सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है। हम मांग करते हैं कि राज्यों के संवैधानिक अधिकारों का कड़ाई से पालन किया जाएय इसके लिए जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन करके राज्यों के कराधान अधिकारों को बहाल किया जाए, और विभाज्य पूल (जिसमें उपकर और अधिभार शामिल हैं) में राज्यों को वर्तमान 33 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत हिस्सा दिया जाए।

हम सरकार से मांग करते हैं कि वह अति–धनवान लोगों पर कर लगाए, रोजगार, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन और आवास के मौलिक अधिकारों को सभी नागरिकों के लिए एक वैधानिक दायित्व के रूप में सुनिश्चित करेय और उन कॉरपोरेट नीतियों को समाप्त करे जो असमानता को बढ़ावा देती हैं तथा एकाधिकारों और मुट्ठी भर अरबपतियों के हाथों में धन का संकेंद्रण करती हैं।

संसद मांग करती है कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो उन सांप्रदायिक तत्वों को कड़ाई से नियंत्रित कर कुचले, जो सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने में लिप्त हैं, जो मेहनतकश लोगों की एकता को खतरे में डालते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में असुरक्षा तथा अशांति पैदा करते हैं। हम मेहनतकश लोगों से आह्वान करते हैं कि वे सांप्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों को अलग–थलग करें और हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को अक्षुण्ण बनाए रखें।

यह 'मजदूर किसान संसद' भारत की जनता से आह्वान करती है कि वे:

– 23 मार्च 2026 को – शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस के अवसर पर – 'साम्राज्यवाद–विरोधी दिवस' के रूप में मनाएंय यह दिवस मुक्त व्यापार समझौतों और 4 श्रम संहिताओं के विरोध में, तथा अन्य मांगों को लेकर मनाया जाए।

– 1 अप्रैल 2026 को 'श्रम संहिताओं' और अन्य मांगों के विरोध में 'अखिल भारतीय काला दिवस' के रूप में मनाया जाए।

– उपरोक्त मांगों को पुरजोर ढंग से उठाने तथा किसानों और श्रमिकों को 'कॉर्पोरेट–विरोधी जन–संघर्षों' में लामबंद करने के लिए भारत के सभी राज्यों में श्महापंचायतेंश आयोजित की जाएं।

यदि सरकार का रवैया अड़ियल और तानाशाहीपूर्ण बना रहता है, तो यह 'संसद' किसानों और श्रमिकों से आह्वान करती है कि वे एक लंबे और निरंतर चलने वाले, अखिल–भारतीय तथा एकजुट संघर्ष के लिए कमर कस लें, यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि सभी मांगें पूरी नहीं हो जातीं और सरकार को अपनी सभी 'राष्ट्र–विरोधी' तथा 'जन–विरोधी' नीतियां वापस लेने के लिए विवश नहीं कर दिया जाता।

यह 'श्रमिक–किसान संसद' समाज के सभी मेहनतकश और लोकतांत्रिक वर्गों से इन आंदोलनों को समन्वित समर्थन प्रदान करने की अपील करती है।

सरकारी नाकामी, युद्ध के दुष्परिणाम और काला...

पेज 1 से जारी...

निर्णायक हस्तक्षेप की मांग करता है। कालाबाजारी करने वालों और जमाखोरों के खिलाफ सख्त और मिसाली कार्रवाई की जानी चाहिए। छात्रों के हॉस्टलों में कुकिंग गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि छात्रों को उचित और पौष्टिक भोजन मिल सके। आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जिन गिग वर्कर्स (अस्थायी कामगारों) की आजीविका छिन गई है, उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिएय साथ ही, छोटे रेस्तरां मालिकों को बर्बादी से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

इसके साथ ही, हम ईरान के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की आक्रामक कार्रवाइयों की स्पष्ट शब्दों में निंदा करते हैं, इन कार्रवाइयों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को अस्थिर कर दिया है और भारत जैसे देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भारत सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और संप्रभुता तथा शांति की रक्षा में एक सैद्धांतिक रुख अपनाना चाहिए।

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सरकार से आह्वान करता है कि वह युद्ध के खिलाफ तत्काल अपनी आवाज उठाए, इसे तुरंत रोकने की मांग करे, और देश में ऊर्जा संसाधनों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कूटनीतिक तथा आर्थिक उपाय करे। लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को भू–राजनीतिक समीकरणों और नीतिगत जड़ता की भेंट नहीं चढ़ाया जा सकता।

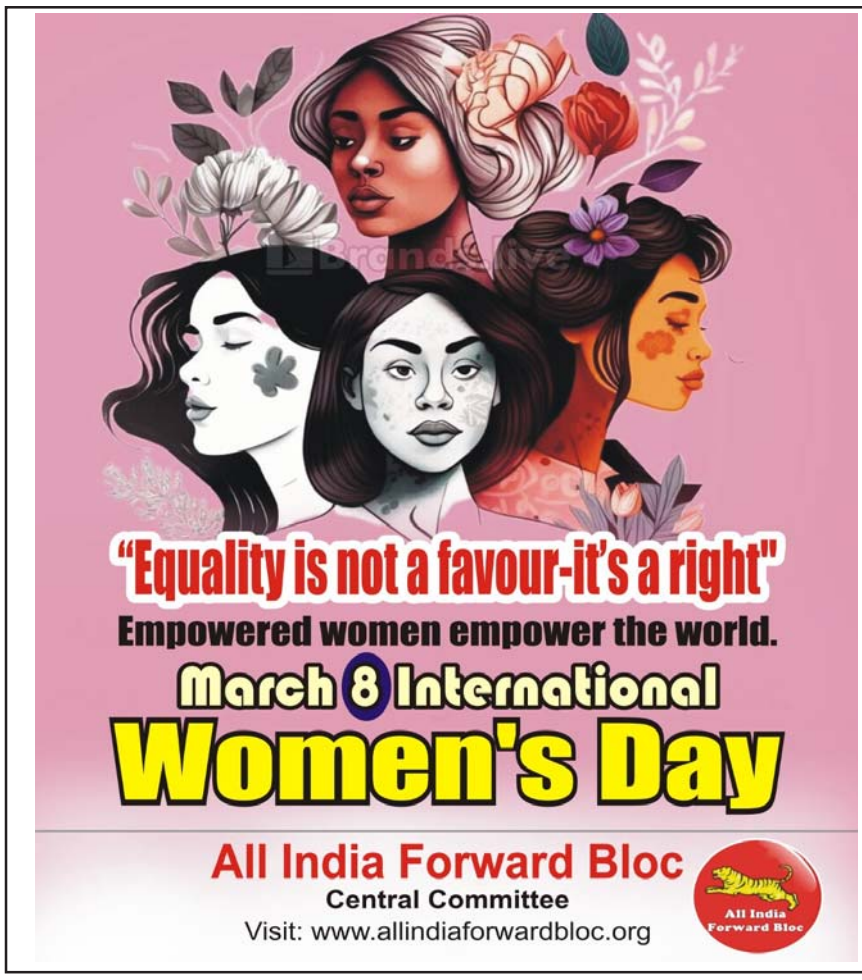

नेपाल का राजनीतिक भूकंप:

एक पीढ़ीगत विद्रोह और वामपंथ के लिए एक चेतावनी

नेपाल के हालिया संसदीय चुनावों के नतीजों ने एक गहरे राजनीतिक मोड़ को चिन्हित किया है, यह न केवल सरकार में बदलाव का संकेत है, बल्कि देश की राजनीतिक चेतना में एक गहरी पीढ़ीगत दरार को भी दर्शाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) का नाटकीय उदय और उसे मिला निर्णायक जनादेश, उस पुरानी राजनीतिक व्यवस्था की व्यापक अस्वीकृति को दर्शाता है जिसका प्रतिनिधित्व नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी), नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) और नेपाली कांग्रेस जैसी ताकतें करती रही हैं। वामपंथी दृष्टिकोण से, इस जनादेश को महज एक अस्थायी लहर या विरोध में डाला गया वोट मानकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि, यह नेपाल में पारंपरिक वामपंथी आंदोलन की विफलताओं पर गंभीर आत्म–मंथन की मांग करता है।

दशकों तक, नेपाल की वामपंथी ताकतों ने श्रमिकों, किसानों और हाशिए पर पड़े लोगों की आकांक्षाओं को अपने कंधों पर उठाया विशेष रूप से 1990 के जन–आंदोलन के बाद आए लोकतांत्रिक बदलाव के दौरान और उसके बाद ऐसा देखा गया। नेपाल के संविधान (2015) के लागू होने से संघवाद और गणतंत्रवाद को और अधिक संस्थागत रूप मिला, ये ऐसे परिणाम थे जिन्हें वामपंथी संघर्षो ने काफी हद तक आकार दिया था। फिर भी, इन ऐतिहासिक उपलब्धियों से जुड़ी उम्मीदें गुटबाजी, अवसरवाद और नेतृत्व तथा आम जनता के बीच बढ़ती दूरी के कारण धीरे–धीरे धूमिल होती चली गई। 2017 के बाद एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रयोग का विफल होना, न केवल एक संगठनात्मक विफलता का प्रतीक था, बल्कि यह वैचारिक क्षरण को भी दर्शाता था।

के. पी. शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल और शेर बहादुर देउबा जैसे नेताओं के नेतृत्व में अस्थिरता के बार–बार दोहराए जाने वाले दौरों ने यह धारणा बना दी कि राजनीतिक वर्ग चाहे उनकी वैचारिक पहचान कुछ भी हो जन–केंद्रित शासन के बजाय सत्ता–साझेदारी की संस्कृति में पूरी तरह से फस गया है। इस

'कैरोसेल राजनीति' ने युवाओं के एक बड़े वर्ग को अलग–थलग कर दिया, जो पारंपरिक पार्टियों को सत्ता और संरक्षण की होड़ में एक–दूसरे से बिल्कुल अलग न मानने लगे थे। इस प्रकार, 2025 के 'जेन जी' विरोध प्रदर्शनों का उभरना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेपाली युवाओं के बड़े पैमाने पर विदेश पलायन के खिलाफ लंबे समय से सुलग रहे असंतोष का चरम बिंदु था।

इसी संदर्भ में बालेन्द्र शाह का उदय विशेष महत्व रखता है। काठमांडू में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मेयर का चुनाव जीतने से लेकर आरएसपी के राष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व करने तक का उनका सफर एक नए राजनीतिक विमर्श के आकार लेने का प्रतीक है एक ऐसा विमर्श जो सत्ता–विरोधी, तकनीकी–कुशल और बड़े पैमाने पर युवाओं की लामबंदी पर निर्भर है। आरएसपी की जबरदस्त जीत विशेष रूप से शहरी केंद्रों में और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं के बीच पारंपरिक पार्टियों (जिनमें वामपंथी पार्टियाँ भी शामिल हैं) के प्रति लोगों के गहरे मोहभंग को दर्शाती है। हालाँकि, एक प्रगतिशील दृष्टिकोण से, इस घटनाक्रम को आंख मूंदकर जश्न मनाने के बजाय सतर्क आशावाद के साथ देखा जाना चाहिए।

हालाँकि यथास्थितिवादी राजनीति को मतदाताओं द्वारा नकारा जाना एक स्वागत योग्य कदम है, फिर भी ैत्व का वैचारिक स्वरूप अभी भी अस्पष्ट बना हुआ है। इसका विमर्श जो शासन की दक्षता, भ्रष्टाचार–विरोध और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित है संरचनात्मक परिवर्तन, वर्गीय न्याय या धन के पुनर्वितरण के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता का अभाव दर्शाता है। इस बात का जोखिम है कि यदि इस तरह की तकनीकी–कुशल राजनीति को जन–हितैषी वैचारिक ढाँचे से अलग कर दिया जाए, तो यह 'दक्षता' की आड़ में नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों को ही और मजबूत करने का काम कर सकती है। काठमांडू के मेयर के तौर पर श्री शाह के कार्यकाल की शुरुआती आलोचनाएं विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों और शहरी गरीबों के प्रति उनकी असंवेदनशीलता के संबंध में इसी चिंता को रेखांकित करती हैं।

नेपाल की वामपंथी पार्टियों के लिए, यह क्षण एक 'जागने की घंटी' का काम करना चाहिए। जिस संकट का सामना वे कर रहे हैं, वह केवल चुनावी संकट नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व पर आया संकट है। युवाओं और श्रमिक वर्गो के बीच उनकी विश्वसनीयता में आई गिरावट, एक गहरे वैचारिक और सांगठनिक ठहराव की ओर इशारा करती है। वामपंथी पार्टियों को स्वयं से कुछ कठिन प्रश्न पूछने होंगे: वे जनता के जायज गुस्से को एक प्रगतिशील राजनीतिक विकल्प में बदलने में असफल क्यों रहीं? उन्होंने अपने ही संगठन के भीतर भ्रष्टाचार और संरक्षणवाद को जड़ें जमाने की अनुमति कैसे दे दी? और व्यवहार में वे मध्यमार्गी और बुर्जुआ पार्टियों से बिल्कुल भी अलग न रह जाने की स्थिति तक कैसे पहुँच गई?

आत्मनिरीक्षण से ठोस नवीनीकरण होना चाहिए। सर्वप्रथम, वामपंथ को अपने मूलभूत सिद्धांतों वर्ग संघर्ष, सामाजिक न्याय और समतावादी विकास पर लौटना होगा और उन्हें समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए रोजगार सृजन, सार्वजनिक निवेश और उन संरचनात्मक परिस्थितियों को पलटने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जो लाखों नेपालियों को आजीविका के लिए विदेश जाने को विवश करती हैं। द्वितीय, वामपंथी दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना होगा ताकि स्थापित नेतृत्व की पकड़ को तोड़ा जा सके और नए, विश्वसनीय चेहरों के उदय को प्रोत्साहित किया जा सके। तृतीय, वामपंथ को जन आंदोलनों ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों, छात्र समूहों के साथ अपने जैविक संबंधों का पुनर्निर्माण करना होगा, न कि केवल चुनावी गणित पर निर्भर रहना होगा।

नैतिक राजनीतिक व्यवहार की आवश्यकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वामपंथी नेताओं के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने की धारणा ने उनके नैतिक अधिकार को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। यदि वामपंथ को जनता का विश्वास पुनः प्राप्त करना है तो एक पारदर्शी, जवाबदेह राजनीतिक संस्कृति आवश्यक है। हालिया चुनावी परिणाम दर्शाते हैं कि जब पारंपरिक ताकतें परिणाम देने में विफल रहती हैं तो मतदाता विकल्पों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं, इस सबक को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

अंततः, वामपंथ को नई राजनीतिक वास्तविकता के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ना होगा। आरएसपी सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करते हुए, उसे लोकतांत्रिक शासन और संस्थागत सुधारों को बढ़ावा देने वाले उपायों का भी समर्थन करना चाहिए। केवल दिखावटी विरोध से मतदाता उससे और दूर हो जाएंगे। इसके बजाय, सैद्धांतिक और मुद्दों पर आधारित दृष्टिकोण वामपंथ को अपनी प्रासंगिकता पुनः स्थापित करने में मदद कर सकता है।

निष्कर्षतः, नेपाल चुनाव परिणाम पुरानी व्यवस्था की अस्वीकृति और भविष्य के लिए एक अनिश्चित द्वार दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरएसपी का उदय एक निश्चित समाधान के बजाय गहरे सामाजिक–राजनीतिक उथल–पुथल का लक्षण है। वामपंथ के लिए, यह आत्मनिरीक्षण, पुनर्गठन और जनता से पुनः जुड़ने का एक ऐतिहासिक क्षण है। ऐसा करने में विफलता न केवल उसे और हाशिए पर धकेल देगी, बल्कि उन ताकतों के लिए राजनीतिक क्षेत्र को खुला छोड़ने का जोखिम भी पैदा करेगी जो सामाजिक न्याय और समानता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को साझा नहीं करती हैं।

सुभाषवाद : राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय और...

पेज 8 से जारी...

से चलते हैं, प्रचार से नहीं, वे काम करते हैं, नारे नहीं लगाते।

सुभाषवाद एक मजबूत और जवाबदेह सरकार के महत्व पर भी जोर देता है, जो लोगों के हितों की सेवा करे। यह शासन के ऐसे मॉडल की कल्पना करता है जो पारदर्शी, कुशल और सामाजिक कल्याण के लिए समर्पित हो। साथ ही, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की जरूरत पर भी जोर देता है, ताकि यह पक्का हो सके कि सत्ता की जड़ें लोगों की इच्छा में ही बनी रहें। सरकार के अधिकार और लोगों की संप्रभुता के बीच यह संतुलन एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने के लिए बहुत जरूरी है।

आखिरकार, सुभाषवाद काम करने का एक आह्वान है। यह हमें राष्ट्रवाद के बारे में अपनी समझ पर फिर से सोचने, सुस्ती को छोड़ने, और भारत के ऐसे सपने को अपनाने की चुनौती देता है जो आजाद, न्यायपूर्ण और सबको साथ लेकर चलने वाला हो। यह हमें याद दिलाता है कि आजादी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए हमेशा चौकस रहने, संघर्ष करने और समर्पित रहने की जरूरत होती है। ऐसी दुनिया में जहाँ असमानता, बँटवारा और अनिश्चितता फैली हुई है, सुभाषवाद के सिद्धांत एक ऐसे समाज को बनाने का रास्ता दिखाते हैं जो मानवीय, समतावादी और सचमुच लोकतांत्रिक हो।

जब हम नेताजी की विरासत और उन आदर्शों पर सोचते हैं जिनके लिए वे खड़े थे, तो यह साफ हो जाता है कि सुभाषवाद सिर्फ अतीत का कोई दर्शन नहीं है बल्कि यह आज और आने वाले कल की एक जरूरत है। जो लोग सचमुच अपने देश से प्यार करते हैं, उन्हें सतही बातों से ऊपर उठना होगा और त्याग, न्याय और एकता के उन मूल्यों के साथ खुद को जोड़ना होगा जो सुभाषवाद की पहचान हैं। तभी हम एक ऐसे देश का सपना पूरा करने की उम्मीद कर सकते हैं जो सिर्फ सत्ता में ही नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों में भी मजबूत हो।

RNI No.43038/1985 Postal Reg. No.: DL(C)-14/1434/2024-26 Total Page 8 Posted at : SPM, SRT Nagar PO, New Delhi-110055
Hindi Monthly Published on 25-3-2026 Posting Date: 28 & 29 of the Same Month

अध्ययन सामग्री:

सुभाषवाद : राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय और जनशक्ति का एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण

सुभाषवाद, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित राजनीतिक दर्शन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे आमूल–चूल, अडिग और प्रगतिशील विचारों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। यह केवल एक ऐतिहासिक सिद्धांत नहीं है जो औपनिवेशिक–विरोधी आंदोलन तक ही सीमित हो, बल्कि, यह एक जीवंत वैचारिक ढांचा है जिसकी जड़ें जुझारू राष्ट्रवाद, आर्थिक न्याय और शोषितों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में गहरी जमी हैं। आज के राजनीतिक माहौल में जहां खोखली बयानबाजी अक्सर देशभक्ति का मुखौटा ओढ़ लेती है सुभाषवाद एक शक्तिशाली सुधारक के रूप में उभरता है, जो त्याग, ईमानदारी और राष्ट्र–निर्माण के लिए जन–केंद्रित दृष्टिकोण का आह्वान करता है।

अपने मूल में, सुभाषवाद पूरी तरह से साम्राज्यवाद–विरोधी है। नेताजी समझते थे कि साम्राज्यवाद न केवल विदेशी प्रभुत्व की एक राजनीतिक संरचना थी, बल्कि यह एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था भी थी जिसे धन लूटने और असमानता को कायम रखने के लिए तैयार किया गया था। इसलिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रति उनका विरोध केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं थाय बल्कि यह बाहरी नियंत्रण और शोषण के सभी रूपों को समाप्त करने तक फैला हुआ था। समकालीन दुनिया में, यह सिद्धांत आज भी अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि वैश्विक पूंजी और नव–साम्राज्यवादी ताकतें राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करना और आर्थिक संप्रभुता को कमजोर करना जारी रखे हुए हैं। सुभाषवाद ऐसी चालों के प्रति सतर्कता की मांग करता है और राष्ट्र के लिए एक आत्मनिर्भर, स्वतंत्र मार्ग पर चलने पर जोर देता है।

सुभाषवाद के लिए उतना ही केंद्रीय महत्व पूंजीवाद और उसके शोषक चरित्र की उसकी आलोचना का भी है। नेताजी ने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की थी जहां धन केवल कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित न होकर, लोगों के बीच समान रूप से वितरित हो। उनका मानना था कि आर्थिक न्याय के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी और खोखली होगी। इसलिए, सुभाषवाद धन के समाजीकरण की वकालत करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग निजी लाभ के बजाय सामूहिक भलाई के लिए किया जाए। यह दृष्टिकोण समाजवादी सिद्धांतों के साथ घनिष्ठ रूप से मेल खाता है, जहां राज्य अर्थव्यवस्था को विनियमित करने, सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करने और सभी नागरिकों को बुनियादी अधिकारों की गारंटी देने में एक सक्रिय भूमिका निभाता है।

सुभाषवादी विचारधारा में मजदूरों और किसानों के अधिकारों को एक अहम जगह मिली है। नेताजी ने यह समझा था कि ये वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इन्हें सशक्त बनाया जाना चाहिए, न कि इनका शोषण किया जाना चाहिए। सुभाषवाद मजदूरों के लिए मजबूत सुरक्षा, उचित मजदूरी और काम करने के गरिमामय माहौल की वकालत करता है। यह किसानों के हितों की रक्षा करने की जरूरत पर भी जोर देता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बाजार के उतार–चढ़ाव, कॉरपोरेट शोषण या सरकारी नीतियों की अनदेखी का शिकार न बनना पड़े। इस लिहाज से, सुभाषवाद मेहनतकश जनता के साथ मजबूती से खड़ा है और एक ऐसी व्यवस्था की हिमायत करता है जहाँ उत्पादन का मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि इंसानी जरूरतों को पूरा करना हो।

सुभाषवाद की एक और खास पहचान है सांप्रदायिक राजनीति का इसका कड़ा विरोध। नेताजी ने एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना की थी जहाँ एकता धर्म, जाति या पहचान के आधार पर बँटी हुई न हो, बल्कि साझा संघर्ष और सामूहिक आकांक्षाओं पर आधारित हो। उनकी नजर में, सांप्रदायिक नफरत एक ऐसा हथियार था जिसका इस्तेमाल साम्राज्यवादी

और प्रतिक्रियावादी ताकतें देश को भीतर से कमजोर करने के लिए करती थीं। आज, जब बँटवारे की राजनीति सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बन रही है, तब सुभाषवाद हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा राष्ट्रवाद सबको साथ लेकर चलने वाला, एकता स्थापित करने वाला और आपसी सम्मान पर आधारित होता है। यह नागरिकों से आह्वान करता है कि वे नफरत को नकारें और समाज के सभी वर्गों के बीच एकजुटता कायम करें।

सुभाषवाद त्याग का भी एक दर्शन है। नेताजी का जीवन स्वयं राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने सुख–सुविधाओं या समझौते की तलाश नहीं की, इसके बजाय, उन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष, कठिनाई और सर्वोच्च बलिदान का मार्ग चुना। निस्वार्थता की यह भावना सुभाषवाद के मूल में है। यह व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करता है कि वे संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठें और स्वयं को राष्ट्रीय प्रगति तथा सामाजिक न्याय के व्यापक उद्देश्य के प्रति समर्पित करें। बढ़ते व्यक्तिवाद और भौतिकवाद के इस युग में, इस संदेश का गहरा महत्व है।

सुभाषवादी विचारधारा को आकार देने में 'आजाद हिंद फौज' (आईएनए) की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। नेताजी के नेतृत्व में, INA साहस, एकता और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक बन गई। इसने विविध पृष्ठभूमियों से आए लोगों को एक साथ जोड़ा, जो मुक्ति के एक साझा लक्ष्य से एकजुट थे। INA के सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान देशभक्ति और सामूहिक संघर्ष के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुभाषवाद राष्ट्र से आह्वान करता है कि वह इन योगदानों को याद करे और उनका सम्मान करे केवल ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में।

युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना सुभाषवाद का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हालाँकि, यह वह संकीर्ण और दिखावटी देशभक्ति नहीं है जो अक्सर समकालीन चर्चाओं में देखने को मिलती है। इसके बजाय, यह राष्ट्र के प्रति एक गहरा, सचेत प्रेम है जो सेवा, उत्तरदायित्व और न्याय के प्रति समर्पण के माध्यम से व्यक्त होता है। सुभाषवाद युवाओं को सामाजिक वास्तविकताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और राष्ट्र–निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो न केवल अपनी विरासत पर गर्व करे, बल्कि एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए भी दृढ़–संकल्प हो।

मौजूदा राष्ट्रीय हालात में, जहाँ नकली राष्ट्रवादी अक्सर देशभक्ति का चोला ओढ़ लेते हैं, जबकि असल में वे लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक सौहार्द को कमजोर करते हैं, वहाँ 'सुभाषवाद' एक साफ विकल्प पेश करता है। यह देश के लिए सच्चे प्यार और मौकापरस्त बयानबाजी के बीच फर्क करता है। सुभाषवादी सोच के मुताबिक, सच्चे देशभक्त वे लोग हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखते हैं, और हर तरह के शोषण के खिलाफ लड़ते हैं। वे सिद्धांतों

शेष पेज 7 पर...

जन गर्जन हिन्दी मासिक ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक की केन्द्रीय समिति के लिए देवब्रत बिश्वास, पूर्व सांसद सदस्य द्वारा टी–2235/2, अशोक नगर, फैज रोड़, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 से मुद्रित तथा प्रकाशित। दूरभाष : 28754273
संपादक : देवब्रत बिश्वास, पूर्व सांसद
मुद्रण स्थल : कुमार ओफसेट प्रिंटर्स, 381, पटपड़ गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 110092 वेबसाईट: www.forwardbloc.org
ईमेल:biswasd.aifb@yahoo.co.in
कम्प्यूटर कम्पोजिंग : प्रकाशन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लाक, नेताजी भवन, नई दिल्ली

जन गर्जन
नेताजी भवन,
टी–2235/2, अशोक नगर, फैज रोड़,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005
दूरभाष: 011–28754273

जन गर्जन
ऑल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक का हिन्दी मासिक

सेवा में,